

कार्यालय - ज्ञाप

भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में नीली कान्ति मिशन के माध्यम से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु पूर्व संचालित समस्त केन्द्र पोषित एवं केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को एक अम्ब्रेला के अन्तर्गत लाते हुए नई केन्द्र पुरोनिधानित " ब्लू रिवोल्यूशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज" योजना को प्रदेश में लागू किये जाने हेतु भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.06.2016 द्वारा दिशा- निर्देश एवं पत्र दिनांक 14.10.2016 द्वारा आंशिक संशोधित मार्ग निर्देश निर्गत किये गये हैं। तत्कम में शासनादेश सं० 20/2016 / 2362/सत्रह-म- 2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24.12.2016 द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन योजना को प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु मार्ग निर्देश/गाइड लाइन्स निर्गत किये जा चुके हैं।

2- भारत सरकार के पत्र संख्या-31013/37/2016-एफ0वाई(3) पी टी05, दिनांक 03.02.2017 एवं पत्र संख्या-31013/37/2016-एफ0वाई(3) पी टी05, दिनांक 21.02.2017 द्वारा " ब्लू रिवोल्यूशन इन्ट्रीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज" योजना की विभिन्न योजनाओं /उपयोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं समय-समय पर समन्वय स्थापित किये जाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर सचिव डी0एल0एस0सी0(पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग) भारत सरकार की अध्यक्षता में नेशनल स्टेयरिंग कमेटी(एन0एस0सी0) तथा राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी (एस0एल0एस0सी0) तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी गठित किये जाने एवं उनके दायित्व निर्धारित किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

भारत सरकार के उक्त पत्र संख्या-31013/37/2016-एफ0वाई(3) पी टी0 5 दिनांक 03.02.2017 एवं पत्र संख्या-31013/37/2016-एफ0वाई(3) पी टी0 5 दिनांक 21.02.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-225/नि०शा० दिनांक 03.03.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार "ब्लू -रिवोल्यूशन योजना" के राज्य में सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी (एस0एल0एस0सी0) एवं जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी (डी0एल0एस0सी0)का गठन तथा उनके दायित्वों का निर्धारण निम्नवत् किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(क) राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी(एस0एल0एस0सी0)का गठन-

- | | |
|---|-------------|
| (1) राज्य के मुख्य सचिव- | अध्यक्ष |
| (2) प्रमुख सचिव /सचिव मत्स्य विभाग - | सदस्य सचिव। |
| (3) प्रमुख सचिव /सचिव ग्राम्य विकास - | सदस्य |
| (4) प्रमुख सचिव /सचिव कृषि विभाग- | सदस्य |
| (5) प्रमुख सचिव /सचिव सिंचाई विभाग - | सदस्य |
| (6) प्रमुख सचिव /सचिव पंचायती राज विभाग - | सदस्य |
| (7) निदेशक, मत्स्य विभाग- | सदस्य |

(2)

राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी (एस0एल0एस0सी0) के दायित्व-

- (i) ब्लू रिवोल्यूशन परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रदेश में मत्स्य विकास के स्तर की समीक्षा।
- (ii) मत्स्य विकास के निर्धारित नीति निर्देशों की समीक्षा।
- (iii) स्टेट एक्शन प्लान की समीक्षा।
- (iv) अन्य परियोजनाओं के कन्वर्जेंस की समीक्षा।
- (v) जनपदों को धनराशि हस्तान्तरण की समीक्षा।
- (vi) राज्य द्वारा तैयार परियोजनाओं की संस्तुति।
- (vii) ब्लू रिवोल्यूशन परियोजना के प्रगति की समीक्षा।

(ख) जिला स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी (डी0एल0एस0सी0) का गठन-

- | | |
|---|-------------|
| (1) जिलाधिकारी - | अध्यक्ष। |
| (2) मुख्य विकास अधिकारी - | सदस्य सचिव। |
| (3) सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी- | सदस्य। |
| (4) जिला पंचायती राज अधिकारी- | सदस्य। |
| (5) जिला कृषि अधिकारी- | सदस्य। |
| (6) प्रोजेक्ट डायरेक्टर/आफिसर्स इंचार्ज, ग्राम्य विकास- | सदस्य। |
| (7) जिला अग्रणी बैंक अधिकारी- | सदस्य। |

जिला स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी (डी0एल0एस0सी0) के दायित्व-

- (i) ब्लू रिवोल्यूशन परियोजना के जनपदीय कार्य योजना की समीक्षा।
- (ii) प्रोजेक्ट फार्मुलेशन एवं प्रस्तुतीकरण की समीक्षा।
- (iii) भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।
- (iv) अन्य विभागों से कन्वर्जेंस लिंककेजेज/ धनराशि हस्तान्तरण की समीक्षा।
- (v) लाभार्थी को ऋण वितरण की समीक्षा।
- (vi) प्रोजेक्ट का गुणवत्ता पूर्वक संचालन।
- (vii) परियोजना के क्रियान्वयन में पर्यावरणीय संतुलन।

4- राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी (एस0एल0एस0सी0) एवं जिला स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी (डी0एल0एस0सी0) की बैठकें त्रैमासिक आधार / यथावश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या- 693(1)/सत्रह-म-2017- तददिनांक

प्रतिलिपि; निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास/कृषि विभाग/सिंचाई विभाग/पंचायतीराज विभाग उ०प्र० शासन।
- 2- सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 4- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी (द्वारा निदेशक मत्स्य)।
- 6- निदेशक/संयुक्त निदेशक मत्स्य, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी (द्वारा निदेशक मत्स्य)।
- 8- समस्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर/आफिसर्स इंचार्ज, ग्राम्य विकास/जिला अग्रणी बैंक अधिकारी (द्वारा निदेशक मत्स्य)।
- 9- समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी (द्वारा निदेशक मत्स्य)।
- 10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव मत्स्य उ०प्र० शासन।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(बृजराज सिंह यादव)
विशेष सचिव।